रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 1984/चैत्र 8, 1906
No. 140] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 1984/CHAITRA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

योजना मंत्रालय

(वित्तीयकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1984

का. आ. 216(अ).—29 जुलाई, 1983 को भारत के असाधारण राजपत्र भाग-2 खंड-3, उपखंड (2) में प्रकाशित दिनांक 22 जुलाई, 1983 की राष्ट्रपतिक अधिसूचना के अनुसरण में आंकड़ा संग्रहण अधिनियम, 1953 (1953 का 32) में सम्बद्ध विनिर्दिष्ट अनुसूची को सम्मिलित कर सिक्किम राज्य की विनियमावली को बढ़ाते हुए

एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम, 15 फरवरी, 1984 से सिक्किम राज्य में लागू होगा ।

[सं. एस-15016/1/78-रा.प्र.सर्वे.]

महेन्द्र नाथ, उप सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1984

S.O. 216(E).—In pursuance of the Presidential Notification dated the 22nd July, 1983 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 29th July, 1983 extending to the State of Sikkim the enactments, including the Collection of Statistics Act, 1953 (32 of 1953) specified in the Schedule annexed thereto, it is hereby notified that the said Act shall come into force in the State of Sikkim on the 15th February, 1984.

[No. M-15016/1/78-NSS-I]

MAHENDRA NATH, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984